

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी— सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	अपील सं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	65/25	2025/129	19.02.2025	कैलाश बनाम तहसीलदार बरनाला	24.11.2025	1 लगायत 2

1. कैलाश पुत्र किशान्या आयु 38 साल जाति खारवाल निवासी गढी गोपालपुरा तहसील बरनाला जिला सवाई माधोपुर।
—अपीलार्थी
बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार बरनाला ।
—रेस्पोडेन्ट

उपस्थित:—

अपीलार्थी की और से :- विद्वान अभिभाषक श्री गोविन्द प्रसाद कटारा।

रेस्पोडेन्ट की और से :- पेरोकार सरकार

अपील अन्तर्गत भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

निर्णय

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार बरनाला द्वारा मिसल संख्या 77/2024 में पारित निर्णय दिनांक 09.01.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम गढीगोपालपुरा के आराजी ख0नं0 1044 रकबा 0.50 है0 कुल रकबा 0.50 है0 किस्म चरागाह पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने एवं सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि हल्का पटवारी गढी गोपालपुरा ने अपीलार्थी के विरुद्ध एक झूठी रिपोर्ट भूमि खं0नं0 1044 रकबा 0.50 कुल रकबा 0.50 है0 किस्म चरागाह में अनाधिकृत रूप से सरसों की फसल काशत कर अतिक्रमण कर कब्जा करने से सम्बन्धित तहसीलदार तहसील बरनाला के समक्ष प्रस्तुत की। उक्त रिपोर्ट पर तहसीलदार बरनाला अपीलार्थी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये 90 दिन के सिविल कारावास से एवं लगान के 50 गुना शास्ती से दंडित किये जाने का आदेश दिनांक 09.01.2025 को पारित किया है ,जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी को यह अपील निम्न आधारों पर पेश करनी आवश्यक हुयी है। यह है कि निर्णय अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 09.01.2025 पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं विधि के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अदालत मातहत ने अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगपुर सिटी
मु0सं0 65/2025 कैलाश बनाम तहसीलदार बरनाला ।

दिया जो प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। अपीलार्थी पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में नहीं आता है। पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। जिससे यह साबित होता हो कि अपीलार्थी को वास्तविक रूप से भौतिक रूप से कब्जे से बेदखल किया गया है। पूर्व में बेदखली का कोई स्वतन्त्र साक्ष्य नहीं है। पटवार हल्का से अपीलार्थी को जिरह का कोई अवसर नहीं दिया गया है। ऐसे एकतरफा बयानों पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के विश्वास कर कानूनी भूल की है, साथ ही अधिवक्ता अपीलान्ट ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए परोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है, साथ ही परोकार सरकार ने अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु नोटिस जारी किया गया। जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिचारी होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट एवं बयान में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया हुआ है।

अतएव: परिणामस्वरूप अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बरनाला को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित करना उचित समझते हैं कि तहसीलदार बरनाला आदिनांक से दिनांक 31.03.2026 तक प्रत्येक तीन माह में एवं संबंधित भू-अभिलेख निरीक्षक प्रत्येक माह में स्वयं कब्जा जांच करेगा। यदि अपीलान्ट कब्जा छोड़ दे तो निर्णय दिनांक 09.01.2025 खारिज कर सजा माफ कर दी जावेगी तथा यदि अपीलान्ट का कब्जा काश्त पाया जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.01.2025 यथावत रखा जावेगा। पत्रावली फौसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति. जिला कलेक्टर,
गंगपुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगपुर सिटी